

# 103

## सफ़्हात 20

खाने की 32 सुन्नतें और आदाब 03 पड़ोसी के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब 11

सिलए रेहूमी की 13 सुन्नतें और आदाब 08 मेहमान नवाज़ी की 30 सुन्नतें और आदाब 14

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ  
الْعَالِيَةِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### किताब पढ़ने की दुआ

अज : शौखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना  
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले नीचे दी हुई दुआ पढ़ लीजिये  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ यह है :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ  
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी  
रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले । (مُسْتَطْرَف ج ١ ص ٤٠ دار الفكر بيروت)

नोट : अब्बल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये ।

त़ालिबे गुमे मदीना  
व बक्कीअ  
व मरिफ़रत



13 शब्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

नामे रिसाला : 103 सुन्नतें और आदाब

सिने त़बाअत : रबीउल आख़िर 1445 हि., नवम्बर 2023 ई.

ता'दाद : 000

नाशिर : मक्तबतुल मदीना

मदनी इलितजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है ।

## ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)

येह रिसाला "103 सुन्नतें और आदाब"

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार कादिरि रज़वी رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْعَالِيَهُ ने उर्दू ज़बान में तहरीर फ़रमाया है।

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअए मक्तूब, ई मेल या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

**राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी इन्डिया)**

मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,  
तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, गुजरात।

MO. 98987 32611 • E-mail : hind.printing92@gmail.com

## क़ियामत के रोज़ हसरत

**फ़रमाने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ़ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ़ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया)।

(تاريخ دمشق لابن عساکر ج ٥١ ص ١٣٨ دار الفكر بيروت)

## किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त़बाअ़त में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ़ फ़रमाइये।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط  
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

येह मज़मून किताब “550 सुन्नतें और आदाब” के सफ़्हा 13 ता 30 से लिया गया है ।

## 103 सुन्नतें और आदाब

**दुआए अन्तार :** या रब्बल मुस्तफ़ा ! जो कोई 18 सफ़्हात का रिसाला :  
 “103 सुन्नतें और आदाब” पढ़ या सुन ले उसे सुन्नतों का आमिल बना  
 और उस की मां बाप समेत बिला हि़साब मरि़फ़रत फ़रमा दे ।

أَمِينٌ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

**फ़रमाने आख़िरी नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :** “ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ أَلْفِ مَرَّةٍ : ”  
 لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ , या'नी जो मुझ पर एक दिन में एक हज़ार  
 मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़ेगा वोह उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में  
 अपना मक़ाम न देख ले । ” (الترغيب والترهيب، 2/326، حديث: 2590)

वोह तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफ़्लिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही ख़ाली है

(हदाइके बख़्शाश, स. 182)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

**“करम या रसूलल्लाह” के तेरह हुरूफ़ की निस्बत से  
 पानी पीने की 13 सुन्नतें और आदाब**

**दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :** ﴿1﴾ ऊंट की तरह एक ही  
 सांस में मत पियो, बल्कि दो या तीन मरतबा (सांस ले कर) पियो और पीने से  
 क़ब्ल **اللَّهُ** पढ़ो और फ़रागत पर **أَخَذَ لِلَّهِ** कहा करो । (ترمذی، 3/352، حديث: 1892)

② नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने बरतन में सांस लेने या उस में फूंकने से मन्अ फ़रमाया है । (3728: حديث: 474/3, ابوداؤد) हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक के तहूत फ़रमाते हैं : बरतन में सांस लेना जानवरों का काम है नीज़ सांस कभी ज़हरीली होती है इस लिये बरतन से अलग मुंह कर के सांस लो, (या'नी सांस लेते वक़्त गिलास मुंह से हटा लो) गर्म दूध या चाय को फूंकों से ठन्डा न करो बल्कि कुछ ठहरो, क़दरे (या'नी कुछ) ठन्डी हो जाए फिर पियो । (मिरआतुल मनाजीह, 6/77) अलबत्ता दुरूदे पाक वग़ैरा पढ़ कर ब निय्यते शिफ़ा पानी पर दम करने में हरज नहीं ③ पीने से पहले اللهُ بِسْمِ पढ़ लीजिये ④ चूस कर छोटे छोटे घूंट पियें, बड़े बड़े घूंट पीने से जिगर (Liver) की बीमारी पैदा होती है ⑤ पानी तीन सांस में पियें ⑥ बैठ कर और सीधे हाथ से पियें ⑦ लोटे वग़ैरा से वुज़ू किया हो तो उस का बचा हुवा पानी पीना 70 मरज़ से शिफ़ा है कि येह आबे ज़मज़म शरीफ़ की मुशाबहत रखता है, इन दो (या'नी वुज़ू का बचा हुवा पानी और ज़मज़म शरीफ़) के इलावा कोई सा भी पानी खड़े खड़े पीना मक्रूह है । (फ़तावा रज़विय्या, 4/575, 21/669, माखूज़न) येह दोनों पानी किब्ला रू हो कर खड़े खड़े पियें ⑧ पीने से पहले देख लीजिये कि पीने की शै में कोई नुक़सान देह चीज़ वग़ैरा तो नहीं है (594/5, اتحاف السادة) ⑨ पी चुकने के बा'द اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ कहिये ⑩ हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : بِسْمِ اللهِ पढ़ कर पीना शुरू करे पहली सांस के आख़िर में اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ दूसरे के बा'द اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ और तीसरे सांस के बा'द اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ पढ़े (8/2, احیاء العلوم) येह एक अच्छा काम है न भी किया तो हरज नहीं और शुरू में اللهُ और ख़त्म

पर **الْحَمْدُ لِلَّهِ** कहने से भी सुन्नत अदा हो जाएगी **(11)** गिलास में बचे हुए मुसलमान के साफ़ सुथरे झूटे पानी को काबिले इस्ति'माल होने के बा वुजूद ख़्वाह म ख़्वाह फेंकना न चाहिये **(12)** मन्कूल है : **سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ** । या'नी मुसलमान के झूटे में शिफ़ा है **(13)** **(التقاوى الفقهيّة الكبرى لابن حجر الهيتمى، 4/117)** पी लेने के चन्द लम्हों के बा'द ख़ाली गिलास को देखेंगे तो उस की दीवारों से बह कर चन्द क़तरें पेंदे में जम्अ हो चुके होंगे उन्हें भी पी लीजिये ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

**“गदा भी मुन्तज़िर है ख़ुल्द में नेकों की दा'वत का” के बत्तीस हुरूफ़ की निस्बत से खाने की 32 सुन्नतें और आदाब**

**(1)** खाना सिर्फ़ लज़ज़त (TASTE) के लिये न खाया जाए बल्कि खाते वक़्त येह **निय्यत** कर लीजिये : **“अल्लाह पाक की इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिये खा रहा हूं”** **(2)** भूक से कम खाना चाहिये और पूरी भूक भर कर (या'नी भूक बिल्कुल बाकी न रहे इतना) खाना खा लेना मुबाह है या'नी न सवाब है न गुनाह, क्यूं कि इस का भी सहीह मक़सद हो सकता है कि ताक़त ज़ियादा होगी और **भूक से ज़ियादा खा लेना ह़राम है** । ज़ियादा का येह मतलब है कि इतना खा लेना जिस से पेट ख़राब होने का ग़ालिब गुमान है, मसलन दस्त आएंगे और तबीअत बद मज़ा हो जाएगी । **(560/9، 9/560)** इसी तरह तन्दुरुस्त आदमी का ऐसी ग़िज़ा इस्ति'माल करना गुनाह है जिस से बीमार हो जाने का गुमाने ग़ालिब हो यूं ही मरीज़ का ऐसी बद परहेज़ी करना जिस से मरज़ बढ़ जाने का ज़न्ने ग़ालिब हो, मसलन तजरिबे से साबित हो **(3)** भूक से कम खाना बे शुमार फ़वाइद का मज्मूअ है कि तक़रीबन 80 फ़ीसद बीमारियां डट कर या'नी ख़ूब पेट भर

कर खाने से होती हैं। लिहाजा अभी भूक बाकी हो तो हाथ रोक लीजिये

④ अक्सर दस्तर ख़्वान पर इबारत लिखी होती है (मसलन शे'र या कम्पनी वगैरा का नाम) ऐसे दस्तर ख़्वानों को इस्ति'माल में लाना, उन पर खाना खाना न चाहिये। (बहारे शरीअत, 3/420) ⑤ खाना खाने से पहले और बा'द दोनों हाथ पहुंचों तक धोना सुन्नत है। (337/5, فتاوىٰ ہندیہ) ⑥ फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है: “खाने से पहले और बा'द में वुजू करना (या'नी पहुंचों तक दोनों हाथ धोना) रिज़क़ में कुशादगी करता और शैतान को दूर करता है”। (مسند الفرووس، 2/333، حدیث: 3501) ⑦ खाना खाने के मौक़अ पर जूते उतार लीजिये कि इस से क़दम आराम पाते हैं। फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “जब तुम खाना खाने लगे तो अपने जूते उतार दो! क्यूं कि येह तुम्हारे क़दमों के लिये राहत (या'नी आराम) का बाइस है”। (مجموع العلوم، 2/256، حدیث: 3202) ⑧ खाते वक़्त उलटा पाउं बिछा दीजिये और सीधा घुटना खड़ा रखिये या सुरीन पर बैठ जाइये और दोनों घुटने खड़े रखिये। (बहारे शरीअत, 3/378, मुलख़बसन) या दोनों क़दमों की पुशत पर दो जानू बैठिये। (احیاء العلوم، 2/5) ⑨ इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन जब खाने बैठें तो चादर या कुरते के दामन के ज़रीए पर्दे में पर्दा ज़रूर करें ⑩ सालन या चटनी की पियाली रोटी पर मत रखिये। (رد المحتار، 9/562) ⑪ नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है और इस से रोज़ी में तंगी होती है ⑫ बाएं या'नी उलटे हाथ को ज़मीन पर टेक दे कर खाना मक्रूह है। (बहारे शरीअत, 3/377) ⑬ मिट्टी के बरतन में खाना अफ़ज़ल है कि जो अपने घर में मिट्टी के बरतन बनवाता है फ़िरिशते उस घर की ज़ियारत करने आते हैं। (رد المحتار، 9/566) ⑭ दस्तर ख़्वान पर सब्ज़ी हो तो फ़िरिशते नाज़िल होते

हैं। (احياء العلوم، 2/22) **(15)** शुरूअ करने से कब्ल येह दुआ पढ़ ली जाए, अगर खाने या पीने में ज़हर भी होगा तो **اِنْ شَاءَ اللهُ الْكَرِيمِ** असर नहीं करेगा। दुआ येह है : **بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** : तरजमा : अल्लाह पाक के नाम से शुरूअ करता हूं जिस के नाम की बरकत से ज़मीन व आस्मान की कोई चीज़ नुक़सान नहीं पहुंचा सकती, ऐ हमेशा ज़िन्दा व काइम रहने वाले। (مسند الفردوس، 1/282، حدیث: 1106) **(16)** अगर शुरूअ में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो दौराने त़आम याद आने पर इस तरह कह लीजिये : **بِسْمِ اللهِ أَوْلَكُ وَآخِرُهُ** : तरजमा : “अल्लाह पाक के नाम से खाने की शुरूआत और इस का ख़त्म होना” **(17)** अव्वल आख़िर नमक खाइये कि सुन्नत है और इस से **70 बीमारियां** दूर होती हैं। (رد المحتار، 9/562) आ'ला हज़रत **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** ने नमकीन खाने को नमक के हुक़म में लिया है। (हयाते आ'ला हज़रत، 1/107) **(18)** सीधे हाथ से खाइये, उलटे हाथ से खाना, पीना, लेना, देना, **शैतान** का तरीक़ा है। अक्सर इस्लामी भाई निवाला तो सीधे हाथ से ही खाते हैं मगर जब मुंह के नीचे उलटा हाथ रखते हैं तो बा'ज़ दाने उस में गिरते हैं और वोह उलटे ही हाथ से मुंह में डाल लेते हैं, इसी तरह दस्तर ख़वान पर गिरे हुए दाने उलटे हाथ से खाते हैं, उन को चाहिये कि वोह उलटे हाथ वाले दाने सीधे हाथ में रख कर ही मुंह में डालें **(19)** बाएं (या'नी उलटे) हाथ में रोटी ले कर दहने (या'नी सीधे) हाथ से निवाला तोड़ना **दफ़्फ़**

**1**... जिस दुआ में : “**يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ**” के बजाए “**وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**” है, उस दुआ की फ़ज़ीलत “तिरमिज़ी” और “इन्हे माजह” में इस तरह है, फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** : जो बन्दा रोज़ाना सुब्ह व शाम 3 मरतबा येह कलिमात कहे : “**بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**” तो उसे कोई चीज़ नुक़सान नहीं दे सकती। (ترمذی، 5/250، حدیث: 3399- ابن ماجه، 4/284، حدیث: 3869)



**तकब्बुर** (या'नी तकब्बुर दूर होने) के लिये है। (फतावा रज़विय्या, 21/669) तन्हा खाते हुए हाथ बढ़ा कर थाल या सालन के बरतन के ऐन बीच में ऊपर कर के रोटी और डबल रोटी वगैरा तोड़ने की आदत बनाइये, इस तरह रोटी के ज़रात या रोटी पर तिल हुए तो बरतन ही में गिरेंगे वरना दस्तर ख़वान पर गिर कर **जाएअ** हो सकते हैं **﴿20﴾** तीन उंगलियों (या'नी बीच वाली, शहादत की और अंगूठे) से खाना खाइये कि येह **सुन्नते अम्बिया** عَلَيْهِمُ السَّلَام है। अगर चावल के दाने जुदा जुदा हों और तीन उंगलियों से निवाला बनना मुम्किन न हो तो चार या पांच उंगलियों से खा लीजिये **﴿21﴾** **लुक़्मा** छोटा लीजिये और चपड़ चपड़ की आवाज़ पैदा न हो इस एहतियात के साथ इस क़दर चबाइये कि मुंह की ग़िज़ा पतली हो जाए, यूं करने से हाज़िम लुआब (या'नी हाज़िमे दार थूक) भी अच्छी तरह शामिल हो जाएगा। अगर अच्छी तरह चबाए बिगैर निगल जाएंगे तो हज़म करने के लिये मे'दे को तकलीफ़ करनी पड़ेगी और यूं तरह तरह की बीमारियों का सामना हो सकता है लिहाज़ा **दांत** का काम **आंत** से मत लीजिये **﴿22﴾** हर दो एक लुक़्मे के बा'द **“يَاوَأُحْدُ”** पढ़ने से पेट में नूर पैदा होता और बीमारी दूर होती है **﴿23﴾** **फ़रागत** के बा'द पहले बीच की फिर शहादत की उंगली और आख़िर में अंगूठा तीन तीन बार चाटिये। सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ खाने के बा'द मुबारक उंगलियों को **तीन मरतबा** चाटते। (شمائل محمدية، ص 96، حديث: 133) (अगर तीन बार चाट लेने के बा'द भी उंगलियों पर ग़िज़ा का असर बाक़ी रहे तो मज़ीद इतनी बार चाटिये कि ग़िज़ा का असर जाता रहे।) **﴿24﴾** **बरतन** भी चाट लीजिये। ह़दीसे पाक में है : खाने के बा'द जो शख़्स **बरतन** चाटता है तो वोह बरतन उस के लिये दुआ करता है और कहता है : **अल्लाह** पाक तुझे

जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तू ने मुझे शैतान से आज़ाद किया ।  
(2558:347/1, مجمع الجوامع) और एक रिवायत में है कि बरतन उस के लिये

इस्तिफ़ार (या'नी मग़िफ़रत की दुआ) करता है । (3271:14/4, حدیث: ابن ماجه)

﴿25﴾ हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
फ़रमाते हैं : जो (खाने के बा'द) पियाले (या रिकाबी) को चाटे और धो कर  
पी ले उसे एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है और गिरे हुए  
टुकड़े उठा कर खाना जन्नत की हूरों का महर है । (8/2, احیاء العلوم) ﴿26﴾

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : जो शख्स खाने के गिरे हुए टुकड़ों को  
उठा कर खाए वोह फ़राखी (या'नी कुशादगी) के साथ ज़िन्दगी गुज़ारता है और उस  
की औलाद में खैरियत रहती है (8/2, احیاء العلوم) ﴿27﴾ खाने के बा'द दांतों का

खिलाल कीजिये ﴿28﴾ खाने के बा'द अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ के साथ  
येह दुआ पढ़िये : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

“अल्लाह पाक का शुक्र है जिस ने हमें खिलाया, पिलाया और हमें मुसलमान  
बनाया” ﴿29﴾ अगर किसी ने खिलाया हो तो येह दुआ भी पढ़िये :

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ  
खिला जिस ने मुझे खिलाया और उस को पिला जिस ने मुझे पिलाया ।

(المحسن المحسن، ص 71) ﴿30﴾ खाना खाने के बा'द सूरतुल इख़्लास और सूरए  
कुरैश पढ़िये । (8-4/2, احیاء العلوم) ﴿31﴾ खाने के बा'द हाथ साबुन से अच्छी

तरह धो कर पोंछ लीजिये ﴿32﴾ हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन  
मुहम्मद गज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : खाने के बा'द वुजू (या'नी पहुंचों तक  
दोनों हाथ धोना) जुनून (या'नी पागल पन) को दूर रखता है । (8-4/2, احیاء العلوم)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## “क़त्ए रेहूमी हराम है” के तेरह हुरूफ़ की निस्बत से सिलए रेहूमी की 13 सुन्नतें और आदाब

﴿1﴾ फ़रमाने इलाही : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْهَادَ﴾

तरजमए कन्जुल ईमान : और अल्लाह से डरो, जिस के नाम पर मांगते हो और रिशतों का लिहाज़ रखो । (4, النساء:1)

इस आयते मुबारका के तहत “तफ़सीरे मज़हरी” में है : “या’नी तुम क़त्ए रेहूम (या’नी रिशतेदारों से तअल्लुक तोड़ने) से बचो” (212/2, तफ़सीर मज़हरी, 7)

फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿2﴾ जो अल्लाह पाक और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि सिलए रेहूमी करे । (6138, حدیث: 136/4, بخاری)

﴿3﴾ क़ियामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए में तीन क़िस्म के लोग होंगे, (उन में से एक है) सिलए रेहूमी करने वाला (2526, حدیث: 99/1, مسند الفردوس)

﴿4﴾ रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा (5984, حدیث: 97/4, بخاری) ﴿5﴾ लोगों में से वोह शख्स सब से अच्छा है जो कसरत से कुरआने करीम की तिलावत करे, ज़ियादा मुत्तकी हो, सब से ज़ियादा नेकी का हुक्म देने और बुराई से मन्अ करने वाला हो और सब से ज़ियादा सिलए रेहूमी (या’नी रिशतेदारों के

साथ अच्छा बरताव) करने वाला हो (27504, حدیث: 402/10, مسند امام احمد) ﴿6﴾ बेशक अफ़ज़ल तरीन सदका वोह है जो दुश्मनी छुपाने वाले रिशतेदार पर किया जाए

(23589, حدیث: 138/9, مسند امام احمد) ﴿7﴾ जिस क़ौम में क़ातेए रेहूम (या’नी रिशतेदारी तोड़ने वाला) हो, उस (क़ौम) पर अलालह पाक की रहमत का नुज़ूल नहीं होता

(153/2, الروايات) ﴿8﴾ जिसे येह पसन्द हो कि उस के लिये (जन्नत में) महल बनाया जाए और उस के दरजात बुलन्द किये जाएं, उसे चाहिये कि जो उस पर जुल्म करे येह उसे मुआफ़ करे और जो उसे महरूम करे येह उसे अता करे और

जो उस से क़त्ए तअल्लुक करे येह उस से नाता (या'नी तअल्लुक) जोड़े (3215: حديث، 12/3، مشدرك، 9) हज़रते फ़कीह अबुल्लैस समर क़न्दी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ हज़रते फ़कीह अबुल्लैस समर क़न्दी फ़रमाते हैं, सिलाए रेहूमी (या'नी रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक) करने के 10 फ़ाएदे हैं : **अल्लाह करीम की रिज़ा हासिल होती है, लोगों की खुशी का सबब है, फ़िरिशतों को मसरत होती है, मुसलमानों की तरफ़ से उस शख़्स की ता'रीफ़ होती है, शैतान को इस से रन्ज पहुंचता है, उम्र बढ़ती है, रिज़क़ में बरकत होती है, फ़ौत हो जाने वाले आबाओ अज्दाद (या'नी मुसलमान बाप दादा) खुश होते हैं, आपस में महब्बत बढ़ती है, वफ़ात के बा'द उस के सवाब में इज़ाफ़ा हो जाता है, क्यूं कि लोग उस के हक़ में दुआए ख़ैर करते हैं** (73) (تنبيه الغالين، ص 73) **10** “**बहारे शरीअत**” जिल्द 3 सफ़हा 558 ता 560 पर है : **सिलाए रेहूम के मा'ना रिश्ते को जोड़ना है या'नी रिश्ते वालों के साथ नेकी और सुलूक करना । सारी उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि सिलाए रेहूम “वाजिब” है और क़त्ए रेहूम (या'नी रिश्ता तोड़ना) “हराम” है । जिन रिश्ते वालों के साथ सिलाए रेहूम वाजिब है वोह कौन हैं ? बा'ज उलमा ने फ़रमाया : वोह ज़ू रेहूम महरम हैं और बा'ज ने फ़रमाया : इस से मुराद ज़ू रेहूम हैं, महरम हों या न हों । और ज़ाहिर येही कौले दुवुम (या'नी दूसरा कौल) है, अहादीस में मुत्लक़न (या'नी बिगैर किसी कैद के) रिश्ते वालों के साथ सिला (या'नी सुलूक) करने का हुक्म आता है, कुरआने मजीद में मुत्लक़न (या'नी बिला कैद) ज़विल कुर्बा (या'नी रिश्तेदार) फ़रमाया गया मगर येह बात ज़रूर है कि रिश्ते में चूँकि मुख़लिफ़ दरजात हैं (इसी तरह) सिलाए रेहूम (या'नी रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक) के दरजात में भी तफ़ावुत (या'नी फ़र्क़) होता है । वालिदैन का मर्तबा**

सब से बढ़ कर है, इन के बा'द जू रेहूम महरम का, (या'नी वोह रिश्तेदार जिन से नस्ली रिश्ता होने की वजह से निकाह हमेशा के लिये हराम हो) इन के बा'द बक़िय्या रिश्ते वालों का अला क़दरे मरातिब । (या'नी रिश्ते में नज़्दीकी की तरतीब के मुताबिक) (678/9, روادع) ﴿11﴾ सिलए रेहूमि (या'नी रिश्तेदारों के साथ सुलूक) की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, इन को हदिय्या व तोहफ़ा (या'नी GIFT) देना और अगर इन को किसी बात में तुम्हारी इआनत (या'नी इमदाद) दरकार हो तो इस काम में इन की मदद करना, इन्हें सलाम करना, इन की मुलाक़ात को जाना, इन के पास उठना बैठना, इन से बातचीत करना, इन के साथ लुत्फ़ो मेहरबानी से पेश आना (323/1, روادع) ﴿12﴾ अगर येह शख़्स परदेस में है तो रिश्ते वालों के पास ख़त भेजा करे, इन से ख़तो किताबत जारी रखे ताकि बे तअल्लुकी पैदा न होने पाए और हो सके तो वतन आए और रिश्तेदारों से तअल्लुकात ताज़ा कर ले, इस तरह करने से महब्बत में इज़ाफ़ा होगा । (678/9, روادع) (फ़ोन या इन्टरनेट के ज़रिए भी राबिते की तरकीब मुफ़ीद है) ﴿13﴾ सिलए रेहूमि (रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक) इसी का नाम नहीं कि वोह सुलूक करे तो तुम भी करो, येह चीज़ तो हकीकत में मुकाफ़ात या'नी अदला बदला करना है कि उस ने तुम्हारे पास चीज़ भेज दी तुम ने उस के पास भेज दी, वोह तुम्हारे यहां आया तुम उस के पास चले गए । हकीकतन सिलए रेहूम (या'नी आ'ला दरजे का सिलए रेहूम) येह है कि वोह काटे और तुम जोड़ो, वोह तुम से जुदा होना चाहता है, बे ए'तेनाई (या'नी बे परवाई) करता है और तुम उस के साथ रिश्ते के हुकूक की मुराआत (या'नी लिहाज़ व रिआयत) करो । (678/9, روادع)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## “राहे मदीना का मुसाफिर” के पन्दरह हुरूफ़ की निस्बत से पड़ोसी के बारे में 15 सुन्नतें और आदाब

**8 फ़रामिने मुस्तफ़ा** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : **(1)** अल्लाह पाक नेक मुसलमान की वजह से उस के पड़ोस के 100 घरों से बला दूर फ़रमा देता है । फिर आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने येह आयते मुबारका तिलावत फ़रमाई : (وَكَوَلَا دَفَعْنَا اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَاتِ الْأَرْضِ) (البقرة: 251) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : “और अगर अल्लाह लोगों में बा’ज से बा’ज को दफ़अ न करे तो ज़रूर ज़मीन तबाह हो जाए” । (مجمع الزوائد، 8/299، حديث: 13533) **(2)** अल्लाह पाक के नज़्दीक बेहतरीन पड़ोसी वोह है जो अपने पड़ोसी का ख़ैर ख़्वाह हो **(3)** वोह जन्त में नहीं जाएगा, जिस का पड़ोसी उस की आफ़तों से अम्न में नहीं है (مسلم، ص 43، حديث: 46) **(4)** वोह मोमिन नहीं जो खुद पेट भर खाए और उस का पड़ोसी उस के पहलू में भूका रहे **(5)** जिस ने अपने पड़ोसी को ईज़ा दी उस ने मुझे ईज़ा दी और जिस ने मुझे ईज़ा दी उस ने अल्लाह पाक को ईज़ा दी (الترغيب والترهيب، 3/241، حديث: 13) **(6)** जिब्रईल (عَلَيْهِ السَّلَام) मुझे पड़ोसी के मुतअल्लिक़ बराबर वसिय्यत करते रहे, यहां तक कि मुझे गुमान (या’नी खयाल) हुवा कि पड़ोसी को वारिस बना देंगे **(7)** जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिये कि वोह अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए । (مراييل ابى داود، ص 16) **(8)** चालीस घर पड़ोसी हैं । (مسلم، ص 44، حديث: 48) हज़रते इमाम ज़ोहरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ف़रमाते हैं : इस से चारों तरफ़ चालीस चालीस घर मुराद हैं । (مراييل ابى داود، ص 16) “नुज़हतुल क़ारी” में है : पड़ोसी

कौन है इस को हर शख्स अपने उर्फ और मुआमले से समझता है। (नुज्हतुल कारी, 5/568) ﴿9﴾ हज़रते इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَرमाते हैं : पड़ोसी के हुकूम में से येह भी है कि उसे सलाम करने में पहल करे, उस से तवील गुफ्तगू न करे, उस के हालात के बारे में ज़ियादा पूछगछ न करे, वोह बीमार हो तो उस की मिज़ाज पुर्सी करे, मुसीबत के वक़्त उस की ग़म ख़्तारी करे और उस का साथ दे, खुशी के मौक़अ पर उसे मुबारक बाद दे और उस के साथ खुशी में शिर्कत ज़ाहिर करे, उस की लज़िज़ाओं से दर गुज़र करे, छत से उस के घर में न झांके, उस के घर का रास्ता तंग न करे, वोह अपने घर में जो कुछ ले जा रहा है उसे देखने की कोशिश न करे, उस के ऐबों पर पर्दा डाले, अगर वोह किसी हादिसे या तक्लीफ़ का शिकार हो तो फ़ौरी तौर पर उस की मदद करे, जब वोह घर में मौजूद न हो तो उस के घर की हिफ़ाज़त से ग़फ़्लत न बरते, उस के ख़िलाफ़ कोई बात न सुने और उस के अहले ख़ाना से निगाहों को पस्त (या'नी नीची) रखे, उस के बच्चों से नर्म गुफ़्तगू करे, उसे जिन दीनी या दुन्यवी उमूर का इल्म न हो उन के बारे में उस की रहनुमाई करे। (احياء العلوم، 2/266-267/مطبعة)

हिक़ायत : हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ عَنْهُ की ख़िदमत में एक शख्स ने अर्ज़ की : मेरा पड़ोसी मुझे अज़ियत पहुंचाता है, मुझे गालियां देता है और मुझ पर सख़्ती करता है। फ़रमाया : अगर उस ने तुम्हारे बारे में अल्लाह पाक की ना फ़रमानी की है, तो तुम उस के बारे में अल्लाह पाक की इताअत करो (احياء العلوم، 2/266-267/مطبعة) ﴿11﴾ हिक़ायत : एक बुजुर्ग के घर में चूहों की कसरत थी किसी ने अर्ज़ की : हज़रत ! अगर आप बिल्ली रख लें तो अच्छा है। फ़रमाया : मुझे डर है कि चूहा बिल्ली की आवाज़

सुन कर पड़ोसी के घर में चला जाए इस तरह मैं उस के लिये वोह बात पसन्द करने वाला हो जाऊंगा जिसे मैं खुद अपने लिये पसन्द नहीं करता। (احياء العلوم، 2/266-267/267) ﴿12﴾ मन्कूल है : फ़कीर पड़ोसी क़ियामत के दिन मालदार पड़ोसी का दामन पकड़ कर कहेगा : ऐ मेरे रब ! इस से पूछ, इस ने मुझे अपने हुस्ने सुलूक से क्यूं महरूम किया और मुझ पर अपना दरवाज़ा क्यूं बन्द किया ? (احياء العلوم، 2/266-267/267) ﴿13﴾ एक शख़्स ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ !** फुलानी औरत के मुतअल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है कि नमाज़ व रोज़ा व सदक़ा कसरत से करती है मगर येह बात भी है कि वोह अपने पड़ोसियों को ज़बान से तक्लीफ़ पहुंचाती है, फ़रमाया : वोह जहन्नम में है। उन्होंने ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ !** फुलानी औरत की निस्बत ज़ियादा ज़िक्र किया जाता है कि उस के (नफ़ल) रोज़ा व सदक़ा व नमाज़ में कमी है, वोह पनीर (CHEESE) के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी ज़बान से पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देती, फ़रमाया : वोह जन्नत में है। (مسند امام احمد، 3/441، حديث: 9681) ﴿14﴾ **फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** : पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं : बा'ज के तीन हक़ हैं बा'ज के दो और बा'ज का एक हक़ है, जो पड़ोसी मुस्लिम और रिश्तेदार हो, उस के तीन हक़ हैं : पड़ोस का हक़ और हक़के इस्लाम और रिश्तेदारी का हक़, पड़ोसी मुस्लिम के दो हक़ हैं : पड़ोस का हक़ और हक़के इस्लाम और पड़ोसी काफ़िर का सिर्फ़ एक, पड़ोस का हक़ है (شعب الایمان، 7/83، حديث: 9560) ﴿15﴾ **हिकायत** : हज़रते बा यज़ीद बिस्तामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ का यहूदी पड़ोसी सफ़र में गया, उस के बाल बच्चे घर में रह गए, रात को यहूदी का बच्चा रोता था। आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने पूछा : बच्चा क्यूं रोता है ? यहूदन बोली : घर में चराग़ नहीं है, बच्चा अंधेरे में घबराता है। उस दिन से आप रोज़ाना चराग़ में ख़ूब तेल भर कर रोशन



कर के यहूदी के घर भेज दिया करते थे, जब यहूदी लौटा तो उस की बीवी ने येह वाकिआ सुनाया। यहूदी बोला : जिस घर में बा यज़ीद का चराग़ आ गया वहां (कुफ़्र का) अंधेरा क्यूं रहे ! वोह सब मुसलमान हो गए। (मिरआतुल मनाजीह, 6/573)

## मेहमान नवाज़ी की 30 सुन्नतें और आदाब

- आठ फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ﴿1﴾ “जो अल्लाह पाक और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि मेहमान का एहतिराम करे।” (بخاری، 4/105، حدیث: 6018) मुफ़स्सिरे क़ुरआन हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक के तहूत फ़रमाते हैं : मेहमान का एहतिराम येह है कि उस से ख़न्दा पेशानी (या'नी मुस्कुरा कर अच्छी तरह) से मिले, उस के लिये खाने और दूसरी ख़िदमात का इन्तिज़ाम करे हत्तल इम्कान अपने हाथ से उस की ख़िदमत करे। (मिरआतुल मनाजीह, 6/52) ﴿2﴾ जो अल्लाह पाक और क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि मेहमान को ईज़ा न दे। (اکرام الضیف، ص 25، حدیث: 13) ﴿3﴾ जब कोई मेहमान किसी के यहां आता है तो अपना रिज़क ले कर आता है और जब उस के यहां से जाता है तो साहिबे ख़ाना (या'नी घर वाले) के गुनाह बख़ो जाने का सबब होता है। (کنز العمال، 9/107، حدیث: 25831) ﴿4﴾ जिस ने नमाज़ काइम की, ज़कात अदा की, हज़ अदा किया, रमज़ान के रोज़े रखे और मेहमान की मेहमान नवाज़ी की, वोह जन्नत में दाख़िल होगा। (مجمع کبیر، 12/106، حدیث: 12692) ﴿5﴾ जो शख़्स (बा वुजूदे कुदरत) मेहमान नवाज़ी नहीं करता उस में भलाई नहीं। (مسند امام احمد، 6/142، حدیث: 17424) ﴿6﴾ आदमी की कम अक्ली है कि वोह अपने मेहमान से ख़िदमत ले। (جامع صغیر، ص 288، حدیث: 4686) ﴿7﴾ सुन्नत येह है कि आदमी मेहमान को दरवाज़े तक रुख़सत करने जाए। (ابن ماجه، 4/52، حدیث: 3358) ﴿8﴾ जिस घर में खाया जाए उस में ख़ैरो बरकत

जि़यादा तेज़ी से आती है ब मुक़ाबला छुरी के जो ऊंट के कोहान तक जाए ।  
 (3357) **शर्हें हदीस** : या'नी जिस घर में **मेहमान**, जाइरीन, मुलाक़ाती लोग खाना खाते रहें वहां बरकत रहती है, वरना खुद घर वाले तो हर घर में ही खाते हैं । ऊंट की कोहान में हड्डी नहीं होती चरबी ही होती है उसे छुरी बहुत ही जल्द काटती है और उस की तह तक पहुंच जाती है इस लिये इस से तश्बीह दी गई । या'नी ऐसे घर में ख़ैरो बरकत बहुत जल्दी पहुंचती है । (मिरआतुल मनाजीह, 6/67) **9** हज़रते बीबी ख़दीजा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا फ़रमाती हैं : “आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करते हैं, मुसाफ़ि़रों की **मेहमान नवाज़ी** करते हैं और हक़ व इन्साफ़ की ख़ातिर सब की मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं” (सीरते मुस्तफ़ा, स. 109, मुलख़बसन) (بخاری، 7/1، حدیث: 3/ملقطاً) **10** एक शख़्स ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मैं एक शख़्स के यहां गया, उस ने मेरी मेहमानी नहीं की, अब वोह मेरे यहां आए तो क्या मैं उस से बदला लूं ? इर्शाद फ़रमाया : नहीं बल्कि तुम उस की मेहमानी करो । (ترمذی، 405/3، حدیث: 2013) **11** हज़रते अता رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام का जब खाना खाने का वक़्त आता और कोई साथ खाने वाला न होता तो एक या दो दो मील तक उस की तलाश में निकल जाते थे कि कोई साथ खाने वाला मिल जाए । (تعمیرة الغافلین، ص 249) **12** हज़रते इकिरमा عَلَيْهِ السَّلَام फ़रमाते हैं : हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام का लक़ब “अबुद्दैफ़ान” (या'नी बड़ा मेहमान नवाज़) मशहूर था, उन के मकान के चार दरवाज़े थे और वोह देखते रहते थे कि किस दरवाज़े से कोई आने वाला आता है । (تعمیرة الغافلین، ص 249) **13** ख़ादिमुन्नबी हज़रते अनस बिन मालिक رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : “जिस घर में मेहमान नहीं आता उस में रहमत के

फिरिश्ते नहीं आते” (एहयाउल इलूम, (उर्दू), 2/43, 16/2, (احياء العلوم, 14) ﴿14﴾ मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَرमाते हैं : हमारा मेहमान वोह है जो हम से मुलाक़ात के लिये बाहर (या’नी दूसरे शहर या मुल्क) से आए ख़्वाह उस से हमारी वाक़िफ़ियत पहले से हो या न हो, जो हमारे लिये अपने ही महल्ले या अपने शहर में से हम से मिलने आए दो चार मिनट के लिये वोह मुलाक़ाती है मेहमान नहीं । उस की ख़ातिर (मसलन अच्छी तरह मिलना, चाय पानी करना हो) तो करो मगर उस की दा’वत नहीं है और जो ना वाक़िफ़ शख़्स अपने काम के लिये हमारे पास आए वोह मेहमान नहीं जैसे हाकिम या मुफ़्ती के पास मुक़द्दमे वाले या फ़तवा (लेने) वाले आते हैं येह हाकिम (या मुफ़्ती) के मेहमान नहीं । (मिरआतुल मनाजीह, 6/54) ﴿15﴾ मेहमान को चाहिये कि अपने मेज़बान की मसरूफ़िय्यात और ज़िम्मेदारियों का लिहाज़ रखे ﴿16﴾ बहारे शरीअत जिल्द 3 सफ़हा 391 पर हदीस नम्बर 14 है : “जो शख़्स अल्लाह (पाक) और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है, वोह मेहमान का इकराम करे, एक दिन रात उस का जाएज़ा है (या’नी एक दिन उस की पूरी ख़ातिर दारी (या’नी आव भगत) करे, अपने मक़दूर भर (या’नी जहां तक मुम्किन हो) उस के लिये तकल्लुफ़ का (या’नी एहतियाम के साथ) खाना तय्यार कराए) और ज़ियाफ़त तीन दिन है (या’नी एक दिन के बा’द तकल्लुफ़ न करे बल्कि जो हाज़िर हो वोही पेश कर दे) और तीन दिन के बा’द सदक़ा है, मेहमान के लिये येह हलाल नहीं कि उस के यहां ठहरा रहे कि उसे (या’नी मेज़बान को) हरज में डाल दे” (6135: حدیث: 136/4, بخاری, 17) ﴿17﴾ जब आप किसी के पास बतौरै मेहमान जाएं तो मुनासिब है कि अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ हस्बे हैसियत मेज़बान या उस के बच्चों के लिये तोहफ़े लेते जाएं ﴿18﴾ हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ’ज़मी

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فرमाते हैं : मेहमान को चार बातें ज़रूरी हैं : (1) जहां बिठाया जाए वहीं बैठे (2) जो कुछ उस के सामने पेश किया जाए उस पर खुश हो, यह न हो कि कहने लगे : इस से अच्छा तो मैं अपने ही घर खाया करता हूं या इसी किस्म के दूसरे अल्फ़ाज़ (3) बिग़ैर इजाज़ते साहिबे ख़ाना (या'नी मेज़बान से इजाज़त लिये बिग़ैर) वहां से न उठे और (4) जब वहां से जाए तो उस के लिये दुआ करे (बहारे शरीअत, 3/349, 344/5, فتاوىٰ ہندیہ, 19) घर या खाने वग़ैरा के मुआमले में मेहमान किसी किस्म की तन्कीद करे न झूटी ता'रीफ़ (20) मेज़बान भी मेहमान को झूट के ख़तरे में डालने वाले सुवालात न करे मसलन कहना कि हमारा घर कैसा लगा ? या कहा : हमारा खाना आप को पसन्द आया या नहीं ? ऐसे मौक़अ पर अगर पसन्द न होने के बा वुजूद मेहमान मुरव्वत में घर या खाने की झूटी ता'रीफ़ करेगा तो गुनाहगार होगा (21) मेज़बान इस तरह का सुवाल भी न करे कि "आप ने पेट भर कर खाया या नहीं ?" कि यहां भी जवाबन झूट का अन्देशा है कि कम खाने की आदत या परहेज़ी या किसी भी वज्ह से कम खाने के बा वुजूद इसरारो तक़्ार से बचने के लिये मेहमान को झूटमूट कहना पड़ जाए कि "मैं ने ख़ूब डट कर खाया है" (22) बा'ज़ अवक़ात खाने के मौक़अ पर मेहमान पर एक शख़्स मुक़र्र कर दिया जाता है जो अपने हाथ से मेहमान की प्लेट में खाना या सालन, बोटी वग़ैरा डालता रहता है, मेहमान को इस से परेशानी हो सकती है, मसलन वोह बोटी खाने से बचना चाहता है और मेज़बान का आदमी बोटियां डाले जा रहा है (23) मेज़बान को चाहिये कि मेहमान से वक़्तन फ़ वक़्तन कहे कि "और खाओ" मगर इस पर इसरार न करे, कि कहीं इसरार की वज्ह से ज़ियादा न खा जाए और येह उस के लिये नुक़सान देह हो (344/5, فتاوىٰ ہندیہ, 24) हज़रते इमाम अबू

हामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं :  
 साथी कम खाता हो तो रग़बत दिलाते हुए उस से कहे : खाइये ! लेकिन तीन  
 बार से ज़ियादा न कहा जाए क्यूं कि येह “इसरार” करना और हृद से बढ़ना  
 हुवा (9/2، احیاء العلوم، 25) मेज़बान को बिल्कुल ख़ामोश न रहना चाहिये  
 और येह भी न करना चाहिये कि खाना रख कर गाइब हो जाए बल्कि वहां  
 हाज़िर रहे (345/5، فتاویٰ ہندیہ، 26) मेहमानों के सामने ख़ादिम वगैरा पर  
 नाराज़ न हो (345/5، فتاویٰ ہندیہ، 27) मेज़बान को चाहिये कि मेहमान की  
 ख़ातिर दारी में खुद मशगूल हो, ख़ादिमों के ज़िम्मे उस को न छोड़े कि येह  
 (या’नी मेहमान की आव भगत) हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام की  
 सुन्नत है, (345/5، فتاویٰ ہندیہ، 3/394) जो शख़्स अपने (मुसलमान)  
 भाइयों के साथ खाता है उस से (क़ियामत में उस खाने का) हि़साब न होगा ।  
 (306/2، قوت القلوب، 28) हज़रते इमाम अबू हामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद  
 बिन मुहम्मद गज़ाली رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जो शख़्स कम ख़ूराक हो जब  
 वोह लोगों के साथ खाए तो कुछ देर बा’द खाना शुरूअ करे और छोटे लुक़मे  
 उठाए और आहिस्ता आहिस्ता खाए ताकि आख़िर तक दूसरे लोगों का साथ  
 दे सके (4254: تحت الحدیث، 84/8، مرقات، 29) अगर किसी ने इस लिये  
 जल्दी से हाथ रोक लिया ताकि लोगों के दिलों में मक़ाम पैदा हो और इस  
 को भूक से कम खाने वाला तसव्वुर करें तो रियाकार और अज़ाबे नार का  
 हक़दार है (30) अगर भूक से कुछ ज़ियादा इस लिये खा लिया कि  
 मेहमान के साथ खा रहा है और मा’लूम है कि येह हाथ रोक देगा तो  
 मेहमान शरमा जाएगा और सेर हो कर न खाएगा तो इस सूरत में भी कुछ  
 ज़ियादा खा लेने की इजाज़त है जब कि इतनी ही ज़ियादती हो जिस से मे’दा  
 ख़राब होने का ख़तरा न हो ।

(در مختار، 6/561، خلاصہ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ❀❀❀ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ